न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 212/2020 आवन्टन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाडा	**बनाम**	1. कालू पिता भैरू बैरवा निवासी धामनियां तहसील माण्डलगढ
–प्रार्थी		–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 17 (अ) राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 68

उपस्थित –

1. राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से

अति. जिला कलक्टर न्यायालय भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 05.07.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत नियम 17 (अ) राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 68 विरूद्व विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम कचौलिया खुर्द की आ.न. 229/23 रकबा 1.10 बीघा भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 16.10.2019 को दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। जिला कलक्टर महोदय के आदेश क्रमांक 6641 दिनांक 30.06.2020 से पत्रावली इस न्यायालय में स्थानान्तरित करते हुये अधिवक्ताओं को अपनी उपस्थिति न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाडा में दिनांक 22.07.2020 को देने हेतु सूचित किया गया। प्रार्थना पत्र दिनांक 01.07.2020 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया।

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि विपक्षी कालू पिता भैरू बैरवा निवासी धामनिया का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश होने पर विपक्षी कालू की मृत्यु वर्ष 1998 में होना पाया गया है। तहसीलदार माण्डलगढ द्वारा कायम मुकाम रिपोर्ट मय सम्मन भी पेश नही किये गये। जबकि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिनांक 16.10.2019 से ही पंजीबद्ध चला आ रहा है। प्रार्थी ने संशोधित प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया हैं। प्रकरण में 02 वर्ष व्यतीत होने पर भी प्रार्थी ने विधिवत प्रक्रिया नही अपनायी है, इस प्रकार तहसीलदार माण्डलगढ ने न्यायालय का श्रम व समय अनावश्यक जाया किया है। प्रार्थी तहसीलदार माण्डलगढ ने मृतक के विरूद्व नियम 17 (अ) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियम विरूद्व कृत्य किया है। इस प्रकार प्रार्थी तहसीलदार माण्डलगढ ने मृतक व्यक्ति के विरूद्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 17(अ) प्रस्तुत किया है, जो नियम विरूद्व होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 17 (अ) राजस्थान मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना क्षैत्र में सरकारी भूमि आवंटन नियम 68 खारिज किया जाता हैं। तहसीलदार माण्डलगढ मृतक के वारिसान की जांच कर पूर्ण दस्तावेज सहित प्रकरण नये सिरे से न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)